

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम,  
अम्बेडकरनगर।

C.N.R.No-UPAN010007982026

F.R.No-176/2026

जयनाथ राम, अवर अभियंता बनाम मेहीलाल  
मु0अ0सं0-786 / 2023  
धारा-135 विद्युत अधिनियम  
थाना-एंटी पावर थेफ्ट, अम्बेडकरनगर

**14.03.2026**

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। वादी मय विभागीय सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में वादी की तहरीर पर प्रकरण के अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 135** भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद अम्बेडकरनगर में दर्ज हुई, जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम आख्या न्यायालय प्रेषित की गयी। वादी के विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया कि वे विवेचक के निष्कर्ष से सहमत हैं।

वादी साक्षी अवर अभियंता ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर कथन किया है कि मैं उपर्युक्त मुकदमें का वादी हूँ, जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है। अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार मामले के वादी को उक्त अंतिम आख्या के विरुद्ध कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल नहीं करना है। वादी व वादी के विभाग के अधिवक्ता विवेचक के निष्कर्ष से सहमत है। उन्हें अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्यायहित में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

तदनुसार हस्तगत मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(राम विलास सिंह)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम /  
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम  
अम्बेडकरनगर।  
जे0ओ0 कोड नं0-यू0पी0 6067